प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार के सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति पर उनकी पेंशन,पारिवारिक पेंशन,ग्रेच्युटी,राशिकरण आदि देयों के भुगतान में हो रहे विलम्ब एंव समस्याओं के निस्तारण हेतु दिनाँक 25 अक्टूबर 2016 को आयुक्त महोदय,मेरठ मण्डल,मेरठ की अध्यक्षता में पेंशन अदालत का आयोजन किया जाना है ।

अतः मेरठ मण्डल के ऐसे सभी पेंशनरों से अपेक्षित है कि वे अपना वाद निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय कोषागार,बुलन्दशहर व कार्यालय अपर निदेशक,कोषागार एंव पेंशन,मेरठ मण्डल मेरठ दिनाँक 07–10–2016 तक तीन प्रतियों में प्राप्त करा दें । वाद–पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से यह भी अपेक्षित है कि वे अपने वाद–पत्र की एक–एक प्रति अपने सेवानिवृत्ति कार्यालय व विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें । किसी भी मा0 न्यायालयों में न्यायिक कार्यवाही लम्बित होने तथा शासन स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों पर पेंशन अदालत में सुनवाई नहीं की जायेगी ।

(आत्मप्रकाश बाजपेई)
मुख्य कोषाधिकारी,
बुलन्दशहर
06/10/16

प्रेषक :

आत्मप्रकाश बाजपेई,
मुख्य कोषाधिकारी,
बुलन्दशहर.

सेवा में :

ज़िला सूचना अधिकारी,
बुलन्दशहर.

पत्रांक /सी0पी0ए0/कोष0/2016–17, दिनांक 06/10/2016

विषय : पेंशन अदालत से सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्ति के निःशुल्क प्रकाशन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

राजकीय कार्यालयों के सेवानिवृत्त तथा मृत शासकीय सेवकों के परिवार की सेवानैवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित समस्याओं के निदान हेतु पेंशन अदालत से सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्ति साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इसे समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक : प्रेस विज्ञप्ति 5 प्रतियों में ।

भवदीय,

(आत्मप्रकाश बाजपेई)
मुख्य कोषाधिकारी,
बुलन्दशहर.

पत्रांक 234-II /सी0पी0ए0/कोष0/2016–17, दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1–जिलाधिकारी,बुलन्दशहर ।

2–अपर निदेशक,कोषागार एंव पेंशन,एम0डी0ए0 भवन द्वितीय तल,मेरठ मण्डल,मेरठ ।

3–जिला सूचना एंव विज्ञान अधिकारी,बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस पत्र एंव प्रेस विज्ञप्ति की प्रति जनपद बुलन्दशहर की बेबसाईट पर अपलोड करनें का कष्ट करें ।

(आत्मप्रकाश बाजपेई)
मुख्य कोषाधिकारी,
बुलन्दशहर.
06/10/16